PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईडब्लू–6 दिनांक : 16 .10.2020

विषय :– पिटकुल के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिक पेन्शनरों के परिसर पर बिना मीटर विद्युत प्रयोग करने पर विभागीय कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल,...........................।

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2215/यूपीसीएल/आर.एम./एन–36 दिनांक 13.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बिना मीटर विद्युत प्रयोग करने वाले सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिक पेन्शनरों पर विभागीय कार्यवाही के साथ–साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–126 (विद्युत का अनाधिकृत प्रयोग) तथा धारा–135 (विद्युत चोरी) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः उक्त कार्यालय ज्ञाप की छायाप्रति आपको इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया संलग्न कार्यालय ज्ञाप में दिये गये निर्देशों का स्वयं पालन करते हुये अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों, आपके कार्यालय से सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिक पेन्शनरों को भी अपने स्तर से निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु अवगत कराने का कष्ट करें।

सलग्कः–यथोपरि।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईडब्लू–6 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सज्ञानार्थ प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।

सलग्कः–यथोपरि।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक 1550 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईडब्लू–6 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त) पिटकुल, विद्युत भवन, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र को कारपोरेशन की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

सलग्कः–यथोपरि।

16/X/2020
(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: md@upcl.org Website: www.upcl.org

130

पत्रांक 2215 / यूपीसीएल / आर.एम. / एन–36 दिनांक 13 –08–2020

Dir(HR)

No. 1814 ... HR ... Dt. 26.8.2020

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के समक्ष दायर रिट पिटीशन (पी.आई.एल) संख्या 93 / 2019 : आर. टी. आई. क्लब बनाम यूपीसीएल व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को यूपीसीएल मुख्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से समय–समय पर निर्देशित किया गया कि यूपीसीएल, यूजेवीएनएल तथा पीटीसीयूएल के सेवारत कार्मिकों, सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिक पेन्शनरों को निर्गत विभागीय विद्युत संयोजनों पर मीटर लगाने का कार्य विलम्बतम 30–04–2020 तक तथा लेज़राइजेशन का कार्य 15–06–2020 तक पूर्ण कर लिया जाये। क्षेत्रीय अधिकारियों से विभिन्न पत्रों / दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर यूपीसीएल मुख्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में यह शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया कि यूपीसीएल, यूजेवीएनएल तथा पीटीसीयूएल के सेवारत कार्मिकों, सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिक पेन्शनरों को निर्गत सभी विभागीय विद्युत संयोजनों पर मीटर स्थापित करने तथा लेज़राइजेशन करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि यूपीसीएल, यूजेवीएनएल तथा पीटीसीयूएल के संयुक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या 5391 / यूपीसीएल / आर.एम. / एन–36, दिनांक 17–07–2020 द्वारा यूपीसीएल, यूजेवीएनएल तथा पीटीसीयूएल के सेवारत कार्मिकों, सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिक पेन्शनरों को विद्युत उपभोग की एक निर्धारित सीमा तक विद्युत दरों में रियायत प्रदान करने के आदेश पारित किये गये हैं।

इसी क्रम में आदेशित किया जाता है कि तीनों निगमों के उपर्युक्त संयुक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या 5391 / यूपीसीएल / आर.एम. / एन–36, दिनांक 17–07–2020, जिसके द्वारा सेवारत कार्मिकों, सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिक पेन्शनरों को विद्युत उपभोग की एक निर्धारित सीमा तक विद्युत दरों में रियायत प्रदान करने के आदेश पारित किये गये हैं, के प्रावधान केवल उन्हीं सेवारत कार्मिकों, सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिक पेन्शनरों पर लागू होगें जिनके विद्युत संयोजनों पर यूपीसीएल का मीटर स्थापित है तथा बिना मीटर विद्युत का प्रयोग करने वाले सेवारत कार्मिकों, सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिक पेन्शनरों पर विभागीय कार्यवाही के साथ–साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा – 126 (विद्युत का अनाधिकृत प्रयोग) तथा धारा – 135 (विद्युत की चोरी) के अर्न्तगत कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। इसके साथ ही यदि कोई कार्मिक / पेन्शनर यूपीसीएल के अधिकृत मीटर के बिना विद्युत का प्रयोग करते पाये जाते हैं तो ऐसे कार्मिकों / पेन्शनरों के विद्युत संयोजनों पर ससमय मीटर स्थापित न करने वाले अधिकारियों यथा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी तथा अवर अभियन्ता के विरुद्ध भी कारपोरेशन के सक्षम अधिकारी / अधिकारियो द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
निदेशक (परिचालन)

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
श्री कमल/चन्द्र दर्शन का.अधी-I
श्रीमती दीपा रानी/ममता/
श्री विपिन कुमार, का.सहा.-I
श्रीमती रीना, व. सहा.-III
कैम्प कार्या0-नि0(मा0सं0)
कृपया दि0.........को.........बजे
चर्चा करें।
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

निदेशक (मा0सं0)

कार्यालय निदेशक (मा0सं0)
पत्र प्राप्ति की दिनांक 27.8.20 समय 12:46 PM
डायरी संख्या 1230

HR/Admin./PTCUL/D.Dun
Diary No. 1555
File........................
Date 27/08/20

SPO
27/8

Received on 27/8/20

129

पत्रांक: 2215 /यूपीसीएल/आर.एम/एन-36 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव – प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल।
2. निदेशक (वित्त/परियोजना/मानव संसाधन), यूपीसीएल।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल/कुमांऊ/हरिद्वार/उधमसिंह नगर क्षेत्र, यूपीसीएल, देहरादून/हल्द्वानी/हरिद्वार/रुद्रपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (परियोजना/आर-एपीडीआरपी), यूपीसीएल।
5. महाप्रबन्धक (कम्पनी सचिव एवं विधि), यूपीसीएल।
6. समस्त महाप्रबन्धक (वित्त/ आन्तरिक सम्प्रेक्षा/मानव संसाधन), यूपीसीएल।
7. पुलिस अधीक्षक, सर्तकता अनुभाग, यूपीसीएल।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण/आरएपीडीआरपी), यूपीसीएल।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण/ परीक्षण/आर-एपीडीआरपी), यूपीसीएल।
10. समस्त उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, यूपीसीएल।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
निदेशक (परिचालन)

प्रतिलिपि : 1. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएनएल, देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, पीटीसीयूएल, देहरादून।

विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून-248001, दूरभाष 91-135-2768895 फैक्स 91-135-2768867
Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road, Dehradun-248001 Phone 91-135-2768895 Fax 91-135-2768867